

राजस्थान सरकार




रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक : 108/भुं/2006-07

प्रमाणित किया जाता है कि आर्य महाविद्यालय संस्था
सिंहाणा जिला भुंभुं का राजस्थान संस्था
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण
आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ५-१-२००६
माह जनवरी सन् दो हजार सात को भुंभुं
में दिया गया।


रजिस्ट्रार
संस्थाएं, भुंभुं